न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 20/2015

अपीलान्ट

1 सांकलाराम पुत्र सौदाजी जाति मेणा निवासी ओर तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1 रम्भा पुत्र चेलाजी पत्नी नारायणलाल जाति मीणा निवासी चामुण्डेरी तहसील बाली जिला पाली
2 विदाराम पत्रु जसाजी
3 शंकरलाल पुत्र जसाजी
4 हंजा पुत्री जसाजी
5 चतरू पुत्री जसाजी
6 चुन्नी पुत्री जसाजी जातिगण मीणा निवासीगण राजपुरा पोस्ट सिवेरा तहसील पिण्डवाडा
7 रूपाराम पुत्र सोदाजी
8 चुन्नीलाल पुत्र सोदाजी
9 चुन्नी पुत्री सोदाजी जातिगण मीणा निवासीगण ओर तहसील आबूरोड
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री प्रमोद कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 31.5.18

अपीलांट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहत सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 54/2014 बअनवान श्रीमती रम्भा व अन्य बनाम श्रीमती तुलसी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के विरुद्ध प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन मय अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार चेलाजी थे जिनके मृत्युपरांत उनकी पत्नी लाली उर्फ नाथी के नाम से खातेदारी दर्ज हुई। लाली उर्फ नाथी ने अपने जीवनकाल में सेवा चाकरी करने से एक रजिस्ट्रर्ड बक्सीसनामा जो दिनांक 12.05.1976 को अपीलांट सांकलराम जो देवर का पुत्र है के नाम की गई जो जमाबंदी से हुई व एकमात्र कब्जा धारक होने से उसे अब पुश्तैनी मानना गलत है। बक्सीसनामा हुए करीबन 39 वर्ष हो चुके है। रेस्पोडेन्ट पुत्रियां ससुराल में रहती है उनका उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। ये सभी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होने से इन पर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम लागू नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह अपीलाधीन आदेश लोक अदालत केम्प में एकतरफा आदेश पारित किया जबकि आदेश पारित करने से पूर्व सभी पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर एवं राजीनामे के आधार पर पारित किया जाना चाहिए था जो हस्तगत प्रकरण में नहीं हुआ है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में RRT 2002(1) page 45, RLR 2006 (2) Page 76 व 2015' DNJ(SC) Page 1088 (Head Note) में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित खातेदारी भूमि चेला वल्द कूपा मीणा की पुश्तैनी कब्जा काश्त की रही है। मृतक खातेदार चेला के कोई पुत्र नहीं थे, तीन पुत्रियां क्रमशः रंभा, मोती व तलसी थी, जिनमें से मोती का निधन हो चुका। मृतक खातेदार चेला के मृत्युपरान्त कृषि भूमि का म्युटेशन नियमानुसार पत्नी व तीन पुत्रियों के नाम ही स्वीकृत किया जाना चाहिए, लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा मृतक की खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण उनकी पत्नी नाथी के नाम ही भरा गया। लाली उर्फ नाथी ने गलत रुप से तलसी के नाम गिफ्ट डीड करवाई गई। मृतक खातेदार चेला के फौत होने के बाद जेरे अपील वादस्थ भूमि में उसके वारिशान का 1/4–1/4 हिस्सा होना चाहिए था। रेस्पोडेन्ट संख्या एक से छः के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा पेश किया, जो विचाराधीन है। पैतृक सम्पति होने से अधीनस्थ न्यायालय ने मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने का आदेश दिनांक 15.07.2015 को पारित किया है, जिसके विरुद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए मौके एवं रेकार्ड के अनुसार आदेश पारित किया है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारीज की जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं न्यायिक दृष्टान्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एव गहन परीक्षण किया। अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य तर्क यह रहा पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होने से इन पर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम लागू नहीं होता, साथ ही यह भी कथन रहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह अपीलाधीन आदेश लोक अदालत केम्प में दिनांक 15.07.2015 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

एकतरफा आदेश पारित किया इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता का यह तर्क कि वर्णित भूमि चेला वल्द कूपा मीणा की पुश्तैनी कब्जा काश्त की है। मृतक खातेदार की कृषि भूमि का म्युटेशन नियमानुसार पत्नी व तीन पुत्रियों के नाम ही स्वीकृत किया जाना चाहिए लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा मृतक की खातेदारी भूमि का म्युटेशन उनकी पत्नी के नाम ही भरा गया। प्रस्तुत मामले में यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया, जबकि न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व सभी पीडित पक्षकारों एवं विधिक उत्तराधिकारियो को सुनकर बाद राजस्व रेकार्ड की जांच कर आदेश पारित किया जाना चाहिए था जो इस प्रकरण में नहीं किया है। हस्तगत प्रकरणमें पक्षकार मीणा जाति के है, अर्थात अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है, इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 (2) अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 (2) इस प्रकार है कि "Nothing containes in this Act shall apply to the members of any scheduled Tribe eithin the meaning of clausc (25) of Article 366 of the Constitution unless the Central Government, by notification in the Official Gaqette, otherwise directs" अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 खातेदार कृषकों पर प्रभावी होता है। इस सम्बन्ध मे राजस्व मण्डल की वृहद्पीठ द्वारा आर0आर0डी0 1966 पेत 71 भौरा बनाम गणेश में यह प्रतिपादित किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 बल्कि धारा 4(2) पर विचार करते हुए यह विनिश्चय दिया है, जिसके अनुसार अनुसूचित जन जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार का लागू न होना व्यक्त किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 में यह प्रावधान है कि जब कोई खातेदार अपना इच्छा पत्र छोडे बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसकी खातेदारी में उसके हित उसके व्यक्तिगत कानून के अनुसरण में अवतरित होना प्रावधित किया गया है, जिसके कि वह अपनी मृत्यु के समय अधीन था। चूंकि हिन्दूओं के मामले में व्यक्ति कानून, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 प्रभाव में आता है, ऐसी सूरत में खातेदार कृषकों के उत्तराधिकार के सम्बन्धी मामले इसी अधिनियम से शासित होते है, क्योंकि काश्तकारी अधिनियम में उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट तरीका नहीं दिया गया है। चूंकि जन जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है, ऐसी स्थिति में राजस्थान के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से पूर्व लागू उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून अनुसूचित जन जाति के खातेदार कृषकों के लिए प्रभाव में माना जावेगा। इसी प्रकार की व्यवस्था माननीय मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2002 (1) पेज 45 में भी प्रदान की है। हस्तगत प्रकरण में जैर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट की पुश्तैनी है अथवा नहीं ? तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम हस्तगत प्रकरण को किस रूप में प्रभावित करता है, इन समस्त तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चित होने पर ही संभव होगा, किन्तु वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट के पिता का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के मूल भूत सिद्धान्त यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति को किसी भी रूप में रेखांकित एवं विवेचित नहीं किया है, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश समर्थन योग्य नहीं माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रसतुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 54/2014 बअनवान श्रीमती रम्भा व अन्य बनाम श्रीमती तुलसी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त Observation को दृष्टिगत रखते हुए सभी पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति के सम्बन्ध में प्रकरण का परीक्षण कर बाद विवेचन विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही